

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- एफ. 3 (क) (जे-21/88) अलेसे-11/36-46 दिनांक :- 2-4-13

कार्यालय आदेश

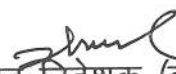
श्री जगदीश प्रसाद पचार, लेखाकार कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर जिनकी जन्म तिथि 03.03.1960 व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति 29.06.1988 है को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2013 के द्वारा चाहेनुसार राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 02.04.2013 मध्याह्न पश्चात से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पचार, लेखाकार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अन्तर्गत आज दिनांक तक विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।


निदेशक

क्रमांक :- एफ. 3 (क) (जे-21/88) अलेसे-11/36-46 दिनांक :- 2-4-13
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर
- 2 संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान : दीवकर 2
- 3 जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर
- 4 श्री जगदीश प्रसाद पचार, लेखाकार कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर
- 5 निजी सहायक निदेशक महोदय
- 6 गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/वेबसाईट हेतु/
- 7 निजी/गार्ड फाईल


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)